आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

1. योजना का उद्देश्यः—

राजस्थान राज्य की जनजाति छात्राओ को उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु प्रेरित करना व बालिका शिक्षा को बढावा देना।

2. नाम एवं प्रभावित क्षेत्र

- योजना का नाम जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना होगा।
- योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी ।

3. परिभाषाएँः—

- राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है ।
- विभाग से तात्पर्य जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान से है ।
- आयुक्त से तात्पर्य आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर से है ।
- सामान्य शिक्षा से तात्पर्य कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में स्नातक शिक्षा हेतु नियमित अध्ययन से है ।

4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) — जनजाति छात्राएँ जो महाविद्यालय में अध्ययनरत है उन्हें अध्ययन हेतु रू. 500/— प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह हेतु वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

5.पात्रता — छात्रा द्वारा पात्रता की निम्न शर्तो की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगाः—

- छात्रा राजस्थान के जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होनी चाहिए।
- छात्रा निजी/राजकीय कॉलेज में सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत हो।
- छात्रा के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।
- योजना हेतु आवेदनकर्ता छात्रा के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर अध्ययन में अन्तराल (गेप) नही होना चाहिए।
- जो छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रही है। उन्हे उक्त योजना में लाभ देय नही होगा।
- वैद्य भामाशाह कार्ड एव आधार कार्ड होना चाहिए।
- छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो।

6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेजः—

- छात्रा के माता—पिता/पति/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नही होने बाबत निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा—पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो ।

7. आवेदन प्रकिया –

- जनजाति छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर भामाशाह कार्ड के साथ विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑनलाईन भरे जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** पर देखे जा सकते है।
- छात्रा वर्तमान में जिस महाविद्यालय मे अध्ययनरत है। उस महाविद्यालय द्वारा छात्राओं से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जॉचकर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (परियोजना अधिकारी, टीएडी व सहरिया/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद) को भिजवाया जाएगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं /विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।

8. भुगतान प्रकिया :–

- स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय द्वारा जॉच उपरान्त सम्बन्धित जिले के ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाएगी।

आयुक्त